दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि :31 जनवरी, 2024

निर्णित तिथि:07 फरवरी, 2024

<u>सि.वा. (वाणि.) 281/2021, अंर्त.आ. 7377/2021 एवं अंर्त.आ. 13421/2023</u>

टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड .....वादी

द्वारा: श्री हेमंत सिंह, सुश्री ममता आर. झा, सुश्री आकांक्षा सिंह एवं सुश्री सलोनी कासलीवाल, अधिवक्तागण।

बनाम

बाघला सेनेटरीवेयर प्राइवेट लिमिटेड ..... प्रतिवादी

द्वारा: श्री संजीव बहल, श्री अपूर्व बहल एवं श्री एकलव्य बहल, अधिवक्तागण ।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश दयाल

<u>आदेश</u>

<u>न्या. अनीश दयाल,</u>

<u>अंर्त.आ. 13421/2023 (सि.प्र.सं. के आदेश नियम 5 के अंतर्गत)</u>

1. वादी द्वारा यह आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("**सि.प्र.सं.**") के उस आदेश नियम 1(5) के तहत दायर किया गया था जिसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 ("**वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम**") द्वारा संशोधित किया गया था, ताकि कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखा जा सके। प्रतिवादियों ने आवेदन का विरोध किया और उसी का उत्तर दायर किया है। पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा तर्कों को संबोधित किया गया था।

2. इस आवेदन के माध्यम से, वादी निम्नलिखित दस्तावेजों को अभिलेख पर रखना चाहता हैः

(i) 1968-1986 की अवधि के लिए व्यापार चिन्ह प्रेस्टीज से संबंधित प्रचार सामग्री;

(ii) सीए प्रमाण पत्र जो वादी कंपनी के पूर्ववर्ती टीटी लिमिटेड होने के वर्ष 1959 से 1985 के लिए बिक्री और प्रचार के आंकड़े दर्शा रहा है;

(iii) सीए प्रमाण पत्र जो वादी कंपनी के पूर्ववर्ती टीटी लिमिटेड होने के वर्ष 1985 से 1989 के लिए बिक्री और प्रचार के आंकड़े दर्शा रहा हो;

(iv) वादी कंपनी के पूर्ववर्ती टीटी लिमिटेड होने से संबंधित दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिक्री और प्रचार व्यय का अलेखापरीक्षित विवरण।

3. पक्षकारों से संबंधित प्रस्तुतियों का उल्लेख करने से पूर्व, संदर्भ में सुगमता हेतु, इन कार्यवाहियों में प्रासंगिक तिथियों के कालक्रम को निम्नानुसार रूप से उद्धृत करना उपयोगी सिद्ध होगा जो पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर प्रभाव डालते हैं:

क्र..सं.	तिथियों की सूची	घटनाएँ
1.	02 जून, 2021	यह वाद वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह 'प्रेस्टीज' और प्रेस्टीज लोगो Prestige के उल्लंघन और प्रतिवादियों द्वारा प्रेस्टीज लोगो के प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन के अलावा, अनुचित प्रतिस्पर्धा के लिए दायर किया गया था। वादी ने दावा किया कि वे 1955 से लगातार, बड़े पैमाने पर और विशेष रूप से भारत में प्रेशर कुकर सहित रसोई के बर्तनों के संबंध में व्यापार चिन्ह 'प्रेस्टीज' का उपयोग कर रहे हैं। 1999 के आसपास, वादी ने आर्क के साथ विशिष्ट लोगो Prestige को अपनाया और तब से उसी का उपयोग कर रहा है।

		2006 में, वादी ने 'प्रेस्टीज' शब्द के नीचे काले रंग में एक चाप के साथ लाल पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में लिखे व्यापार चिह्न 'प्रेस्टीज' वाले Prestige लेबल/लोगो को अपनाया। 'प्रेस्टीज' वादी का घरेलू चिह्न और व्यापार चिन्ह है। वादी के अनुसार, प्रतिवादी सामूहिक रूप से स्नान, रसोई की फिटिंग और उसके सामान के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगे हुए थे, और वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह 'प्रेस्टीज' का उपयोग कर रहे थे और उस नाम पर ग्राहकों को वारंटी प्रदान कर रहे थे। बाद में यह पाया गया कि व्यापार चिन्ह 'प्रेस्टीज' वर्ग 11 में प्रतिवादी सं. 4 के साथी श्री सुरिंदर कुमार बागला के नाम पर पंजीकृत था प्रतिवादियों पर सैनिटरीवेयर या संबद्ध और संबंधित उत्पादों के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करने पर आपत्ति नहीं की गई, परंतु

		वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह 'प्रेस्टीज' (शब्द एवं उपकरण दोनों) के उपयोग के बिना।
2.	04 जून, 2021	न्यायालय द्वारा प्रतिवादी, उसके निदेशकों, भागीदारों, सहयोगियों और उनकी ओर से अन्य व्यक्तियों को इंटरनेट और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों सहित किसी भी तरह से बिक्री, बिक्री और विज्ञापन की पेशकश करने से रोकने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वादी के अर्थात Prestige लोगो के अंतर्गत किसी भी सैनेटरीवेयर, स्नान और रसोई फिटिंग, बर्तन, कुकवेयर और/या संज्ञानात्मक और संबद्ध संबंधित वस्तुओं को एक पक्षीय अंतरिम व्यादेश दिया गया था।
3.	26 जुलाई, 2021	2005 से व्यापार चिन्ह 'प्रेस्टीज' के उपयोग का दावा करने वाले प्रतिवादियों की ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया था।
4.	7 सितंबर, 2021	प्रतिवादियों के 2005 के दावे का खंडन करते हुए

		वादी की ओर से प्रतिकृति दायर की गई।
5.	29 अगस्त, 2022	प्रतिवादियों ने 2012-2016 की अवधि के चालान के अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने के लिए अं.आ. 14694/2022 दायर किया।
6.	27 फरवरी, 2023	अं.आ. 14694/2022 को न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि मामले में विचारण प्रारम्भ नहीं हुआ था।
7.	21 जुलाई 2023	वादी ने खंडन में कथित अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने के लिए अं.आ. 13421/2023 होने के नाते वर्तमान आवेदन दायर किया।

4. वर्तमान आवेदन के समर्थन में, श्री हेमंत सिंह, वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जिस समय प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दायर किया गया था, उस समय कोई सहायक दस्तावेज दायर नहीं किया गया था। इसके बाद ही, अगस्त 2022 में अं.आ. 14694/2022 के माध्यम से, प्रतिवादियों ने अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने का प्रयास किया। इसके बाद ही, अगस्त 2022 में अं.आ. 14694/2022 द्वारा से, प्रतिवादियों ने अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने

का प्रयास किया। हालांकि यह आवेदन लिखित बयान दायर किए जाने के एक वर्ष बाद दायर किया गया, इसे न्यायालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गयी थी। इसकी अनुमति देते हुए, न्यायालय ने ***सुगंधी व अन्य बनाम पी. राजकुमार,*** (2020) 10 एससीसी 706 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया एवं इस तथ्य पर भी भरोसा जताया कि वाद में विचारण अभी शुरू नहीं हुआ है। इसलिए वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वे जुलाई, 2023 में वर्तमान आवेदन दायर करने में न्यायोचित थे, सर्वप्रथम, इस आधार पर कि बाद के चरण में प्रतिवादियों द्वारा दायर दस्तावेजों के खंडन के रूप में इसकी आवश्यकता थी; और दूसरा, कि इन्हें उन्हीं मापदंडों पर अनुमति दी जानी चाहिए जो न्यायालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023 को अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए प्रतिवादी के आवेदन को अनुमति देते हुए लागू किए गए थे।

5. वादी के अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि जब वादी द्वारा वाद में दावा किया गया था कि वे 1955 से व्यापार चिन्ह 'प्रेस्टीज' का उपयोग कर रहे थे, प्रतिवादी के 2005 के दावे के बहुत पहले से; 2007 से पूर्व 'प्रेस्टीज' चिन्ह के उपयोग के साक्ष्य वाले पुराने अभिलेख वाद दायर किए जाने के समय आसानी से उपलब्ध नहीं थे। प्रतिवादियों द्वारा अपना लिखित बयान दायर करने के बाद ही वादी ने पुराने अभिलेख की खोज की और जिला न्यायालय, तीस हजारी के समक्ष

एक निपटान किये जा चुके वाद संख्या 289/08/1991 के अंश के रूप में प्रासंगिक दस्तावेजों की खोज की। वादी ने उक्त वाद के माध्यम से साक्ष्य की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया और वर्तमान आवेदन द्वारा दायर किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज दस्तावेजों के उस समूह से सम्बंधित हैं।

6. वादी के अधिवक्ता ने सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1(5) के प्रावधानों पर भरोसा जताया, जो निम्नानुसार हैः

> *"(5) वादी को उन दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो वादी की शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और जिनका प्रकटीकरण वाद के साथ या ऊपर निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर नहीं किया गया था, सिवाय न्यायालय की अनुमति के और ऐसी अनुमति केवल वादी को वाद के साथ अप्रकटीकरण हेतु उचित कारण स्थापित करने पर ही दी जाएगी।*

7. इस आधार पर, यह अभिवचन दिया गया था कि "*युक्तियुक्त कारण*" का परीक्षण संतोषजनक था, और प्रतिवादियों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ होगा क्योंकि विचारण तब तक शुरू नहीं हुआ था।

8. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने इन तर्कों का पुरजोर खंडन किया और घटनाओं के कालक्रम पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह तर्क देने के लिए कि वादी का आवेदन अत्यधिक विलंबित, असद्भावी था, और उन दस्तावेजों को पेश करने का प्रयास था जिन्हें वाद दायर करने के समय दायर

या प्रकट किया जाना चाहिए था। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत प्रदान की गई सख्त समय सीमा का उल्लेख करते हुए तथा सि.प्र.सं. के आदेश नियम 1 के प्रावधानों में निवासी, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इन दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने की अनुमति मांगने के लिए नहीं दी जा सकती है।

9. अनिवार्य रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि वादी ने वाद के साथ इन दस्तावेजों को प्रकट नहीं किया, न ही वादी ने इसे सितंबर, 2021 में प्रतिकृति के साथ दायर किया। वर्तमान आवेदन प्रतिकृति दायर होने के लगभग दो वर्ष बाद, यानी जुलाई, 2023 में दायर किया गया था, हालांकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि वादी ने इन दस्तावेजों को पहले क्यों नहीं प्राप्त किया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उनकी जानकारी में था (यहां तक कि वादी की दलीलों के अनुसार ये पहले के वाद के भाग के रूप में मौजूद थे)। यह वादी का कर्तव्य था कि वह अपनी शक्ति और कब्जे में जिस पर उन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए, भरोसा करने की मांग पर, सभी दस्तावेजों को दायर करें।

10. महत्वपूर्ण रूप से, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने इन दस्तावेजों पर दिनांक 22 फरवरी, 2023 की मुहर की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो दिनांक 27 फरवरी, 2023 को अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए प्रतिवादियों के आवेदन में सुनवाई से पहले थी। उस दिन वादी के अधिवक्ता द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया था जो अतिरिक्त दस्तावेज दायर करने के उनके इरादे को दर्शाता है। इसके अलावा,

उन्होंने वादी को ही ज्ञात कारणों से अगले पांच महीनों तक आवेदन दायर नहीं करने का निर्णय किया। इसलिए, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने प्रतिविरोध किया कि उनके दावे के समर्थन में दस्तावेज दायर करने में लापरवाही सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1(5) के तहत "युक्तियुक्त कारण" के परीक्षण को संतुष्ट नहीं कर सकती है।

11. पक्षकारों के अधिवक्ता ने कुछ निर्णयों पर भरोसा जताया। वादी के अधिवक्ता ने ***सुगंधी*** (पूर्वोक्त) तथा ***विजय कुमार वार्ष्णेय बनाम लॉन्गलास्ट पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य.***, 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 3775 में निर्णय पर भरोसा किया। जबकि प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने ***सीईसी-सीआईसीआई जेवी व अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सीएस*** (वाणि) 7/2020 के मामले में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 15 मई, 2023 को पारित निर्णय पर भरोसा जताया।

12. अनिवार्य रूप से, वादी के अधिवक्ता ने इस सिद्धांत पर जोर देने के लिए ***सुगंधी*** (पूर्वोक्त) और ***विजय कुमार वार्ष्णेय*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा जताया कि प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी बाधाओं को पर्याप्त न्याय के रास्ते में नहीं आने दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब कोई गंभीर पूर्वाग्रह नहीं होता है और ऐसी ही स्थितियों में, उदाहरणार्थ ***विजय कुमार वार्ष्णेय*** (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय ने दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने की अनुमति दी।

13. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी*** (पूर्वोक्त) पर अपनी निर्भरता पर जोर देने में प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा लगाई गई समय सीमा को लागू करने में विशेष और सख्त रहा है।

14. विश्लेषण की अग्रसर होने से पूर्व, पक्षकारों द्वारा उल्लिखित इन निर्णयों पर विस्तार से चर्चा करना उपयोगी हो सकता हैः

(i) ***सुगांधी*** (पूर्वोक्त), दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में सि.प्र.सं. के आदेश नियम 1-क (3) के तहत एक सिविल वाद में प्रतिवादियों द्वारा दायर एक आवेदन से संबंधित था, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति मांगी गई थी। उक्त प्रावधान पर ध्यान देने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा अपील की अनुमति दी और पैरा 9 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

> *9. अक्सर यह कहा जाता है कि प्रक्रिया न्याय की सहायक होती है। सारभूत न्याय करते समय प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी बाधाओं को न्यायालय के मार्ग में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि प्रक्रियात्मक उल्लंघन विरोधी पक्ष के लिए गंभीर रूप से पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनता है, तो न्यायालयों को प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी उल्लंघन पर भरोसा करने के बजाय सारभूत न्याय करने की ओर झुकना चाहिए। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि*

मुकदमा और कुछ नहीं बल्कि सत्यता की ओर एक यात्रा है जो न्याय की नींव है और न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक विवाद में अंतर्निहित सच्चाई को सामने लाने के लिए उचित कदम उठाए। इसलिए, उप-नियम (3) के तहत दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आवेदन करते समय न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

हालाँकि, यह नोट किया गया है कि ***सुगंधी*** (पूर्वोक्त) का वाद एक वाणिज्यिक वाद नहीं था और एक सामान्य सिविल वाद था। इसके अतिरिक्त सि.प्र.सं. के आदेश नियम 1-क (3) के प्रावधानों को संदर्भ के लिए यहां प्रस्तुत किया गया है, जो बताता है कि वे परिधि में सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1(5) से भिन्न हैं:

> (3) एक दस्तावेज़ जो इस नियम के तहत प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन, इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया गया है, न्यायालय की अनुमति के बिना, वाद की सुनवाई में उसकी ओर से साक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(ii) ***विजय कुमार वार्ष्णेय*** (पूर्वोक्त) मामले में, इस न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश लिखित बयान में प्रतिवादी के रुख का खंडन करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए **सि.प्र.सं.** के आदेश नियम 1(4) व 1(5) के तहत वादी द्वारा एक आवेदन पर विचार कर रहे थे। एकल न्यायाधीश द्वारा निष्पक्षता के हित में और प्रतिवादी द्वारा पूर्व उपयोग के दावे के खंडन के रूप में इसकी

अनुमति दी गई थी। हालांकि, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि **विजय कुमार वार्ष्णेय** (उपरोक्त) के मामले में, वादी द्वारा नवंबर, 2021 में अपनी प्रतिकृति दायर करने के ठीक बाद 4 जनवरी, 2022 को विचाराधीन आवेदन दायर किया गया था। इसके अलावा, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 36 से स्पष्ट है, उस मामले में वादी द्वारा पेश किए जा रहे दस्तावेज चिन्ह के पूर्व उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक थे, यह देखते हुए कि प्रतिवादियों ने पूर्व उपयोग का दावा भी किया था। इस न्यायालय की राय में, **विजय कुमार वार्ष्णेय** (पूर्वोक्त) के तथ्य वादी के दावों की तुलना में एक अलग संदर्भ में थे, विशेष रूप से इसमें शामिल समय सीमा के साथ-साथ पूर्व उपयोग के मुद्दे में। इन पहलुओं को आगे स्पष्ट किया गया है।

> *(iii)* ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी*** (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1(5) पर विस्तार से विचार-विमर्श किया है और आवेदन को खारिज किया गया, जिसमें ***सुगंधी*** (पूर्वोक्त) को अलग करते हुए, साथ ही पैरा 71 में यह भी उल्लेख किया गया है कि वादी वाद दायर करने से पहले ही दस्तावेजों को इकट्ठा कर सकते थे; और यह तर्क कि दस्तावेज विभिन्न कार्यालयों में बिखरे हुए थे और उन्हें इकट्ठा नहीं किया जा सकता था, जो कि केवल एक पश्चात्वर्ती

विचार था। उनके द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों को देर से दायर करने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

15. जैसा कि संबंधित अधिवक्ता द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों के संक्षिप्त विश्लेषण से स्पष्ट है, ***सुगंधी*** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां वादी की मदद नहीं करती हैं। पैरा 9 में की गई टिप्पणियां न केवल प्रकृति में सामान्य हैं, बल्कि एक सामान्य सिविल वाद के संदर्भ में हैं जहां सि.प्र.सं. के आदेश नियम 1क के प्रावधान लागू होते हैं।

16. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के आगमन के साथ, समय सीमा तथा वास्तव में ऐसी समय सीमा का लचीलापन अब सख्त एवं पवित्र हो गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का पूरा उद्देश्य यही था। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्वयं उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटान और शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह इस कारण था की सि.प्र.सं. के प्रावधानों को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 के अनुसार संशोधित किया गया था और अभिवचनों और दस्तावेजों को दायर करने हेतु एक विस्तृत समय सीमा प्रदान की गई थी। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम के. एस. इन्फ्रास्पेस एलएलपी,*** (2020) 15 एससीसी 585 ने निम्नलिखित अवलोकन कियाः

"36. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण और सिविल प्रक्रिया संहिता में विभिन्न संशोधनों और वाणिज्यिक विवादों के वादों पर लागू संहिता में नए नियमों को शामिल करने से पता चलता है कि इसे उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों को शीघ्र निपटान प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्देश्यों और कारणों के विवरण की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या तथा सिविल प्रक्रिया संहिता में विभिन्न संशोधन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं *कि अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अर्थ निकालने की आवश्यकता है। यदि प्रावधानों को एक उदार व्याख्या दी जाती है, तो न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग के गठन के पीछे का उद्देश्य अर्थात् मामले शीघ्र निपटान तथा वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान का उद्देश्य विफल हो जाएगा।* यदि हम उद्देश्यों और कारणों के कथन पर करीब से नज़र डालते हैं, तो "प्रारंभिक" और "त्वरित" जैसे शब्दों को शामिल किया गया है और दोहराया गया है। *उद्देश्य केवल तभी पूरा होगा जब अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या संकीर्ण अर्थों में की जाए और हमारी पारंपरिक विधिक प्रणाली को प्रभावित करने वाली सामान्य प्रक्रियात्मक देरी से बाधित न हो।*

(जोर दिया गया)

17. सि.प्र.सं. का आदेश नियम 1(1), जो कि वाणिज्यिक वादों पर लागू होता है, वादी को उन दस्तावेजों को दायर करने का पहला अवसर देता है जिन पर वे वाद दायर करते समय भरोसा करना चाहते हैं। इस तरह की फाइलिंग एक घोषणा के साथ की जाती है कि वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेज, शुरू की गई कार्यवाही के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित हैं, को प्रकट किया गया है तथा प्रतियों को वाद के साथ संलग्न किया गया है। सि.प्र.सं. के आदेश नियम 1(3) वास्तव में आगे इस घोषणा के भाग के रूप में शामिल है कि "वादी के पास अपनी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है"। इसके बाद, सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1(5) इसका अनुसरण करता है, जो वादी को उन दस्तावेजों पर भरोसा करने से रोकता है जो उनकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे, परंतु न्यायालय की अनुमति के अतिरिक्त, वादपत्र के साथ प्रकट नहीं किये गए थे। यहाँ जो रेखांकित किया गया है वह यह है कि प्रावधान यह आवश्यक बनाता है कि न्यायालय द्वारा ऐसी अनुमति केवल वादी को वाद के साथ-साथ प्रकटीकरण न करने के लिए उचित कारण स्थापित करने पर दी जाएगी। इस प्रकार, वादी के पास उन दस्तावेजों का खुलासा करने का विकल्प होता है जिन पर वे भरोसा करना चाहते हैं और यदि खुलासा नहीं किया जाता है, तो इसकी अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उचित कारण स्थापित नहीं कर दिया जाता ।

18. मामले के तथ्यों में, वादी स्वयं प्रतिविरोध करता है कि 1955 से व्यापारचिन्ह के उपयोग के दावे पर वादपत्र दायर किया गया था। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, वादपत्र के पैरा 4 व 7 से स्पष्ट है। यदि ऐसा था, तो वादी को 1955 से उपयोग सिद्ध करने के लिए किसी भी स्रोत से, जो भी दस्तावेज एकत्र कर सकते थे, उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए था। यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो वादी ने 1955 से उपयोग के लिए अपना मामला सुरक्षित कर लिया होता।

19. प्रतिवादी के लिखित कथन में दावा किया गया है कि वे 2005 से 'प्रेस्टीज' शब्द चिह्न का उपयोग कर रहे थे। उसी के समर्थन में, उन्होंने दस्तावेजों, अन्य बातों के साथ-साथ, बिक्री चालान, विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से स्क्रीन-शॉट और प्रतिवादियों और ग्राहकों के बीच संचार का आदान-प्रदान दायर किया। लिखित बयान एवं दायर किए गए दस्तावेजों का लाभ होने के कारण, उच्च न्यायालय के लिए यह स्वाभाविक था कि वादी शुरू में ही 2005 से पहले पूर्व उपयोग स्थापित करके अपने मामले को स्थापित करे।

20. फिर भी, वादी को एक प्रतिकृति दायर करने का अवसर मिला, जो उसने दिनांक 07 सितंबर, 2021 को दायर की थी। उक्त प्रतिकृति के साथ, वादी ने ई-कॉमर्स साइटों से संबंधित कुछ पत्राचार और स्क्रीन-शॉट सहित कुछ दस्तावेज दायर किए। इस स्तर पर ही, वादी को इतना परिश्रमी एवं बुद्धिमान होना चाहिए था कि वह किसी पूर्व उपयोगकर्ता के दावे का समर्थन करने या यहां तक कि

वादपत्र के साथ दायर किए गए दस्तावेजों के समर्थन के लिए जो भी दस्तावेजों की आवश्यकता हो, उन्हें दाखिल कर सके। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि दस्तावेज दायर करने की प्रारंभिक अवधि और विस्तारित अवधि उस चरण तक समाप्त हो गई थी, जिसमें प्रतिवादी द्वारा स्थापित मामले के खंडन में सि.प्र.सं. के आदेश नियम 1(ग)() के अनुसार उनके पास एक क्षीण अवसर था।

21. इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा उचित रूप से बताया गया है, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां (जैसा कि वर्तमान आवेदन द्वारा अतिरिक्त रूप से दायर किए जाने वाले दस्तावेजों पर मुहर से स्पष्ट है) दिनांक 22 फरवरी, 2023 की हैं। विचारण न्यायालय से पूर्व वाद के दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, वादी के लिए दिनांक 27 फरवरी, 2023 को यह वाद करना अनिवार्य था, जब न्यायालय द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए प्रतिवादियों के आवेदन पर सुनवाई की जा रही थी कि वे अतिरिक्त दस्तावेज भी दायर करना चाहते थे। इस तथ्य के अतिरिक्त कि दिनांक 27 फरवरी, 2023 के आदेश में इस तरह के दावे का कोई अभिलेख उपस्थित नहीं है, वादी द्वारा अगले पांच महीनों तक उचित आवेदन दायर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

22. तत्परता का यह अभाव तथा इस आवेदन के द्वारा वांछित अनुतोष वादी के भाग पर सुस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, वादी को एक प्रतिष्ठित कंपनी होने के नाते,

दशकों से व्यवसाय में होने के कारण, अपने व्यापार चिन्ह की रक्षा के विषय में तत्परता बरतनी चाहिए थी। यह इस न्यायालय के साथ पारित नहीं होगा कि उन्हें अपने हाउस मार्क चिह्न प्रेस्टीज के उपयोग को साबित करने के लिए इस वाद के स्थापना के बाद दो साल से अधिक समय तक कुछ दस्तावेजों के लिए संघर्ष करना पड़ा।

23. वादी का यह दावा कि फरवरी, 2023 में दायर प्रतिवादियों के दस्तावेजों के खंडन में वर्तमान आवेदन की आवश्यकता थी, जिसे इस न्यायालय द्वारा कोई सहायता नहीं मिल पाई। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की सख्त समय सीमा को परस्पर विरोधी पक्षकारों पर डामोक्लेस की तलवार की तरह लटकना चाहिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की सख्त समय सीमा को प्रतियोगी पक्षों पर डैमोकल्स की तलवार की तरह लटका देना चाहिए, क्योंकि यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के संशोधित प्रावधानों द्वारा अभिप्रेत है। एक पक्ष जो एक प्रतिवादी को उनके समान चिह्न का उपयोग करने से रोकने का इरादा रखता है, संभवतः अपने दस्तावेजों के क्रमबंधन के प्रति सुस्त या विलंबित नहीं हो सकता है।

24. इसके अतिरिक्त, वादी के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि उन्होंने वास्तव में 1955 से व्यापार चिन्ह के अपने उपयोग के समर्थन में अपने वादपत्र के साथ दस्तावेजों के तीन खंडों के साथ-साथ सितंबर, 2021 में प्रतिकृति के साथ

अतिरिक्त दस्तावेज दायर किए थे। इसलिए, वादी अपनी वादपत्र के समर्थन में पहले से दायर दस्तावेजों पर भरोसा जताने में काफी सुरक्षित है।

25. किसी भी मामले में, मुद्दा अनुपालन और समय सीमा और "उचित कारण" की कमी का है। इसलिए, ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी*** (पूर्वोक्त) के पैरा 70 में, ***सुधीर कुमार उर्फ़ एस. बालियान बनाम विनय कुमार*** **जी. बी.**, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 734 के पैरा 73, ***बेला क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनुज टेक्सटाइल्स,*** 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 1366 के पैरा 74 में, ***नितिन गुप्ता बनाम टेक्समैको इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग लिमिटेड***, 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 8367 के पैरा 75 में तथा ***ऋषि राज बनाम सारेगामा इंडिया लिमिटेड,*** 2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 4897 पर इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया जाना उपयुक्त है। संदर्भ की सहजता हेतु, प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:

> *"70. वादीगण हेतु इन दस्तावेजों को अभिलेख में दर्ज करने में काफी देर हो चुकी है। इसके एक वाणिज्यिक वाद होने के कारण, समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। **सुधीर कुमार उर्फ़ एस. बालियान बनाम विनय कुमार जी. बी.** (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 30 व 31 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-*
>
> > *"30. आदेश नियम 1(5) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि वादी को उन दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या*

अभिरक्षा में थे और जिनका प्रकटीकरण वादपत्र में या ऊपर निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर नहीं किया गया था, सिवाय न्यायालय की अनुमति के और ऐसी अनुमति केवल वादी को ही दी जाएगी जो वाद में प्रकटीकरण न करने के लिए उचित कारण स्थापित करता है। इसलिए आदेश 11 नियम 1(4) सहपठित आदेश 11 नियम 1(5) के संयुक्त पठन पर यह उभर कर आता है कि () तत्काल फाइलिंग के मामले में वादी अतिरिक्त दस्तावेजों पर भरोसा करने के लिए अनुमति ले सकता है; () वाद दायर करने के तीस दिनों के भीतर; () वादपत्र के साथ प्रकटीकरण न करने के लिए एक उचित कारण बताना है।

31. इसलिए वादी को वाद के साथ अभिलेख पर रखने या न्यायालय में ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों को दायर करने के लिए और तीस दिनों का समय प्रदान किया जाता है और वादी द्वारा शपथ पर घोषणा दायर करने की आवश्यकता होती है जैसा कि आदेश नियम 1(3) के अनुसार आवश्यक है, यदि प्रकटीकरण न करने के किसी भी उचित कारण हेतु, ऐसे दस्तावेज, जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और जो वादपत्र के साथ प्रकट नहीं किए गए थे। इसलिए वादी को वादपत्र के साथ प्रकटीकरण न करने के लिए एक उचित कारण संतोषजनक रूप से स्थापित करना होगा। हालांकि, समसामयिक रूप से, वादपत्र के साथ दस्तावेजों के गैर-प्रकटीकरण के लिए उचित कारण स्थापित करने की आवश्यकता लागू नहीं होगी यदि यह प्रकथन किया जाता है और यह वादी का मामला है कि वे दस्तावेज तत्पश्चात पाए गए हैं और वास्तव में जब वादपत्र दायर किया गया था तब उस समय वादी की शक्ति, कब्जे,

नियंत्रण या अभिरक्षा में नहीं थी। इसलिए वाणिज्यिक वाद पर लागू आदेश 11 नियम 1(4) तथा आदेश नियम 1(5) केवल उन दस्तावेजों के संबंध में लागू होंगे जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और वादपत्र के साथ प्रकट नहीं किये गए थे। इसलिए, वाद के साथ गैर-प्रकटीकरण में उचित कारण स्थापित करने की कठोरता उस मामले में उत्पन्न नहीं हो सकती है जहां अतिरिक्त दस्तावेज पेश किए जाने / भरोसा करने की मांग की जाती है, जो वाद दायर करने के बाद खोजे जाते हैं। इसलिए, वादपत्र के साथ-साथ गैर-प्रकटीकरण में उचित कारण स्थापित करने की अनिवार्यता उस मामले में उत्पन्न नहीं हो सकती है जहां अतिरिक्त दस्तावेज पेश किए जाने / भरोसा करने की मांग की जाती है, जो वाद दायर करने के तत्पश्चात पाये जाते हैं।

73. बेला क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) में, जिस पर श्री सरवरिया ने निर्भरता रखी है, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> *"24. इस आशय के किसी भी दावे की अनुपस्थिति में में कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित बयान और प्रतिवाद के साथ सत्य के बयान में निहित उपरोक्त घोषणा गलत थी, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में उचित ठहराया कि अतिरिक्त दस्तावेज, जो लिखित कथन दायर करने के समय याचिकाकर्ता की अभिरक्षा में थे, उन्हें बाद के चरण में पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। सि.प्र.सं. के आदेश नियम 1(10) के अर्थ के अंतर्गत, "युक्तियुक्त कारण", जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, न्यायालय के*

समक्ष दस्तावेज दायर करने में लापरवाही नहीं की जा सकती। "युक्तियुक्त कारण" में, आवश्यक रूप से, ऐसे कारण का उल्लेख करना चाहिए जो याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर था, और जिसने याचिकाकर्ता को लिखित कथन के साथ संबंधित दस्तावेज दायर करने से रोका था।

(जोर दिया गया)

*74. **नितिन गुप्ता** (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:*

38. जब तक की वाणिज्यिक प्रभाग, वाणिज्यिक वाद से निपटने के दौरान, वाणिज्यिक वाद हेतु विधान बद्ध नियमों को लागू करना शुरू नहीं करते हैं, और दस्तावेजों को देर से दायर करने के लिए आवेदनों पर विचार करने से इनकार करते हैं, विशेष रूप से संदिग्ध चरित्र के दस्तावेजों के संबंध में और 'न्यायहित' और 'एक मुवक्किल को अधिवक्ता की चूक के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए' वाणिज्यिक वाद भी इसी समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे जिस समस्या से सामान्य वाद में समस्या उत्पन्न हो गई है और जिसके कारण वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की आवश्यकता महसूस की गई थी। इस प्रकार वाणिज्यिक प्रभाग को दस्तावेजों को देरी से दायर करने के लिए आवेदनों पर विचार करने या उन्हें अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि अभिवचनों के साथ उनके अप्रकटीकरण हेतु कोई उचित कारण स्थापित न किया गया हो।

*75. **ऋषि राज** (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:*

[.....]

23. वाद 2017 में दायर किया गया था और अतिरिक्त दस्तावेज दायर करने का आवेदन तीन साल बाद अर्थात 2020 में केवल अनवधानता से हुए भूल बताते हुए दायर किया गया था। मेरी राय में, वादी द्वारा वादपत्र के साथ अतिरिक्त दस्तावेज दायर नहीं करने के लिए कोई उचित कारण नहीं दिया गया है। आवेदन विलम्बित है। वादी को मांगे गए दस्तावेजों का अवलंब लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

26. वादी के अधिवक्ता ने इस तथ्य पर बहुत अधिक भरोसा जताया है कि इस न्यायालय ने दिनांक 27 फरवरी, 2023 के आदेश द्वारा प्रतिवादियों के दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने की अनुमति दी और आग्रह किया कि वही सुविधा वादी को दी जाए। उन कारणों के बावजूद भी उन्होंने न्यायालय को दिनांक 27 फरवरी, 2023 को प्रतिवादियों के दस्तावेजों को अनुमति देने के लिए राजी किया, यह वादी को विलंबित चरण में दस्तावेजों को पेश करने के लिए एक पूर्ण अधिकार नहीं दिया जा सकता है, विशेष रूप से उपरोक्त परिस्थितियों और घटनाओं के कालक्रम के आलोक में।

27. भले ही सि.प्र.सं. के आदेश नियम 1 के अनुसार समय सीमा का अधिकतम विस्तार किया जा चुका है, वादी के पास प्रासंगिक दस्तावेजों को दायर करने के कई अवसर थे, पहले वाद के साथ, विस्तारित अवधि में, फिर उनकी प्रतिकृति के साथ, तथा संभवतः जब अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए प्रतिवादियों के आवेदन की अनुमति दी जा रही थी, या, अधिक से अधिक, उसके तुरंत बाद। वादी द्वारा दावा

की गई समानता को अमूर्त रूप से तथा वैधानिक प्रावधानों की पूर्ण उपेक्षा में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वादी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क अनुपयुक्त है।

28. इसलिए, इस न्यायालय की राय में, अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने के लिए सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1 (5) के तहत वादी द्वारा दायर वर्तमान आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

<u>सिविल वाद (वाणि) 281/2021</u>

29. दिनांक 15 फरवरी, 2024 को अतिरिक्त कार्यवाही हेतु संयुक्त निबंधक के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

30. इस न्यायालय की वेबसाइट पर आदेश अपलोड किया जाए।

(अनीश दयाल)
न्यायमूर्ति

07 फरवरी, 2024/एमके/आरजे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*